

3

**न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा**  
**पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या : 70/2018 प्रार्थना पत्र

उत्तर

प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक,  
इण्डिया शेल्टर फार्इनेन्स कॉर्पोरेशन लि०  
शाखा शॉप नं० एफ 01, 02 प्रेम भवन,  
गांधीनगर भीलवाड़ा

बनाम 1 श्रीमती मगनी पत्नि सोहन लाल शर्मा नि०  
प्लॉट नं० 5/647 वार्ड नं० 5 किशनावतों  
की खेड़ी, मीरा सर्किल के पास भीलवाड़ा  
2 श्री सोहन लाल पिता हजारी लाल शर्मा  
नि० प्लॉट नं० 5/647 वार्ड नं० 5  
किशनावतों की खेड़ी, मीरा सर्किल के पास  
भीलवाड़ा  
3. श्री दिनेश कुमार पिता सोहनलाल शर्मा  
नि० प्लॉट नं० 5/647 वार्ड नं० 5  
किशनावतों की खेड़ी, मीरा सर्किल के पास  
भीलवाड़ा

— प्रार्थी

—अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और  
पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**

उपस्थित :- श्री कुणाल ओझा प्रार्थी अधिवक्ता

**आदेश**

दिनांक : 27/06/2018

प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक, इण्डिया शेल्टर फार्इनेन्स कॉर्पोरेशन लि०  
शाखा शॉप नं० एफ-01, 02 प्रेम भवन, गांधी नगर, भीलवाड़ा की ओर से यह  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और  
प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने  
उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 01, 02 व 03 को  
ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर ग्राम  
किशनावतों की खेड़ी वार्ड नं० 5 भीलवाड़ा में स्थित आवासीय भूमि/भूखण्ड जिसकी  
नपती 45 फीट गुणा 12+16/2 फीट कुल क्षेत्रफल 70 वर्गगज का पट्टा संख्या 24  
दिनांक 19.02.2013 को नगरविकास न्यास भीलवाड़ा के द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 श्री  
सोहनलाल पिता हजारी लाल शर्मा एवं श्रीमती मगनी देवी पत्नि सोहनलाल शर्मा  
(ब्राह्मण) निवासी भीलवाड़ा के नाम जारी किया जिसे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा  
रहन रखा गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02 व 03 के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक  
प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के  
अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीया ने ऋण राशि की अदायगी नहीं

जिला मजिस्ट्रेट  
भीलवाड़ा (राज.)

4

की। प्रार्थी ने न्यायाधीश के खत को नो परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।


प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:-

1. रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्भलवाने वकत यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निरस्तारण इस कार्यालय से करवावे।

2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं। यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाड़ा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को डी सिम्योस्ट्रिक्चर एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफॉर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 3 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वकत कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाफ़ा मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल ग़ुनार होकर नम्बर से कम हो बाद तकभील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(शुभि त्यागी)  
जिला कलक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा